

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 85/2016

दायर दिनांक 27.05.2016

उनवान

1. भगवती बाई आयु 46 वर्ष पत्नि भंवरलाल जाति धाकड निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादिया

बनाम

1. अब्दुल हकीम आयु 55 वर्ष पुत्र अजीमुल्ला जाति मुसलमान निवासी आटोन हाल ईमा बाडे के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. सुलेमान आयु 49 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
3. महमूद अली आयु 47 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
4. फरियाद हुसैन आयु 45 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
5. इकबाल आयु 42 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
6. रहमत बाई आयु 51 वर्ष पुत्री चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
7. जन्नत बाई आयु 40 वर्ष पुत्री चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
8. ईदी बाई आयु 75 वर्ष बेवा चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
9. कासम अली आयु 82 वर्ष पुत्र शेरशाह जाति फकीर निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां
10. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादीया:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम आटोन की खाता संख्या 287 ख०नं० 1250 रकबा 0.64 है०, ख०नं० 1251 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 1253 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 3 रकबा 0.82 है० भूमि का निर्णय दिनांक 08.05.2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से

व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/298 दिनांक 06.02.2023 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषक वादिया सहमत है।

अतः ग्राम आटोन की खाता संख्या 287 ख0नं0 1250 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 1251 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1253 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 रकबा 0.82 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	भगवतीबाई पत्नि भंवरलाल जाति धाकड निवासी आटोन के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा कटावर:-	1253	0.04 है0	गै0मु0 चाह	0.00
		1251	0.14 है0	चाही2/जावा2	1.92/1.28
		1250 पूर्व	0.23 है0	बरानी	2.07
		किता-3	0.41 है0	-	5.27

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अब्दुल हकीम पुत्र अजीमुल्ला हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान नि0 आटोन	1250 पश्चिम	0.41 है0	बरानी	3.69
2.	इकबाल अहमद पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
3.	ईदीबाई पत्नि स्व0 चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
4.	कासमअली पुत्र शेरशाह हिस्सा 1/4				
5.	जन्नतबाई पुत्री चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
6.	नूरमोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला हि0 1/4				
7.	फरियाद हुसैन पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
8.	महमूदअली पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
9.	रहमतबाई पुत्री चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
10.	सुलेमान पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
		किता 1	0.41 है0	-	3.69

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०.)

प्रकरण सं० 85/2016

दायर दिनांक 27.05.2016

उनवान

1. भगवती बाई आयु 46 वर्ष पत्नि भंवरलाल जाति धाकड निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादिया

बनाम

1. अब्दुल हकीम आयु 55 वर्ष पुत्र अजीमुल्ला जाति मुसलमान निवासी आटोन हाल ईमा बाडे के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. सुलेमान आयु 49 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
3. महमूद अली आयु 47 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
4. फरियाद हुसैन आयु 45 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
5. इकबाल आयु 42 वर्ष पुत्र चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
6. रहमत बाई आयु 51 वर्ष पुत्री चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
7. जन्नत बाई आयु 40 वर्ष पुत्री चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
8. ईदी बाई आयु 75 वर्ष बेवा चिरागरेशन जाति मुसलमान निवासी आटोन।
9. कासम अली आयु 82 वर्ष पुत्र शेरशाह जाति फकीर निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां
10. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादीया:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम आटोन की खाता संख्या 287 ख०नं० 1250 रकबा 0.64 है० ख०नं० 1251 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 1253 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 3 रकबा 0.82 है० भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	भगवतीबाई पत्नि भंवरलाल जाति धाकड निवासी आटोन के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी, रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा कटावर:-	1253	0.04 है०	गै०मु० चाह	0.00
		1251	0.14 है०	चाही२/जावा२	1.92/1.28
		1250 पूर्व	0.23 है०	बरानी	2.07
		कित्ता-3	0.41 है०	-	5.27

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	अब्दुल हकीम पुत्र अजीमुल्ला हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान नि0 आटोन	1250 पश्चिम	0.41 है0	बरानी	3.69
2.	इकबाल अहमद पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
3.	ईदीबाई पत्नि स्व0 चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
4.	कासमअली पुत्र शेरशाह हिस्सा 1/4				
5.	जन्नतबाई पुत्री चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
6.	नूरमोहम्मद पुत्र अजीमुल्ला हि0 1/4				
7.	फरियाद हुसैन पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
8.	महमूदअली पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
9.	रहमतबाई पुत्री चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
10.	सुलेमान पुत्र चिराग रोशन हिस्सा 1/28				
		किता 1	0.41 है0	—	3.69

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)